नई दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी–3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे में आशुलिपिक श्रेणी–2 के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची						
पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन	सेवा में जोड़े	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
नाम	संख्या		और ग्रेड	अथवा	गए वर्षों का	के लिए आयु-सीमा
			वेतन या	अचयन	फायदा केन्द्रीय	
			वेतनमान	पद	सिविल सेवा	
					(पेंशन) नियम	
					1972 के नियम	
					30 के अधीन	
					अनुज्ञेय है या नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपि	क 06* (2011)	साधारण	वेतन बैंड-1,	लागू नहीं	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच।
श्रेणी-2	*कार्यभार के	केन्द्रीय	5200—	होता		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय
	आधार पर	सेवा,	20200 হ.			पर जारी किए गए अनुदेशों या
	परिवर्तन किया	समूह 'ग',	+ ग्रेड वेतन			आदेशों के अनुसार सरकारी
	जा सकता है।	अराजपत्रित,	2400 ক.			सेवकों के लिए साधारण
		अननुसचिवीय				अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल

(7)

करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीखा जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या	लागू नहीं होता	दो वर्ष

- समतुल्य; और
- (ii) कुशल परीक्षण मान:
- (क) श्रुतलेखन:

10 मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की दर से

अनुलिपिकरण:

कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)

टिप्पण: अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/केन्द्रीय सरकार

के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
_ यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
(13)	सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागी समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	
 संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे 	—अध्यक्ष
 मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे 	—सदस्य
 केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी 	—सदस्य

[फा. सं. 2/16/98-स्था. II (जिल्द III)]

अनप सेठ, निदेशक (स्था, II)

New Delhi, the 21st March, 2011

- G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-III, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:—
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade-II, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. **Disqualification.**—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SC	HEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno- grapher Grade II	06* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caster and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahau and Spiti District and Pang Sub-Division of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shal be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits			qualificati	age and educational ons prescribed for uits will apply in omotees	Period of probation, if any	
		(8)			(9)	(10)
(i) 12th C equivalent	_	a recognised Boa	ard or	Not	applicable	Two years

(8)

(ii) Skill Test Norms:—

(a) Dictation : 10 minutes @ 80 words

per minute.

Transcription : 50 minutes (English) or

65 minutes (Hindi) on computer.

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Central

Government.

Method of recruitment: Whether by direct recruitre by promotion or deputation/absorption and perconference to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made			
(11)		(12)		
Direct recruitment		Not applicable		
If a Departmental Promotion Committee exists, wh composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(13)		(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee for consisting of:— 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune 2. Chief Research Officer, Central Water and	r confirmation, —Chairmar —Member	Not applicable.		
Power Research Station, Pune 3. A Group 'A' Officer from other Central Government Department	—Member			
		[F. No. 2/16/98-E. II (Vol. III)] ANOOP SETH, Director (E. II)		

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2011

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) में कुछ समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग (समूह "ग") भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।